

बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:-

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक,
जिला उद्योग ~~केंद्र~~ बिहार

पटना, दिनांक

विषय:- Pet-Coke के उपयोग की प्रतिबंधित करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक-६७(ई०) दिनांक-१६.०१.१९ के साथ संलग्न पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई का अर्द्धसरकारी पत्र सं०-Q-१८०११/५९/२०१८-सी०पी०ए० दिनांक-१४.१२.१८ के द्वारा पेट-कोक के घरेलु उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिलों के संदर्भ में संलग्नक पत्रांक-Q-१८०११/५९/२०१८-सी०पी०ए० दिनांक-१४.१२.१८ का वर्णित बिन्दुओं के संबंध में मंतव्य संयुक्त सचिव, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय को भेजने की भी व्यवस्था करें।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....७८८/.....

पटना/दिनांक.....०६.०२.१९

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पत्रांक-पर्या०/वन(मु०)-19/2017-67(ह०)/प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

✓ प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पषद,
पटना।

पटना-15, दिनांक 16/01/19

Pet-Coke के उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-Q-18011/59/2018-CPA दिनांक-14.12.2018 से से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुरेन्द्र सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

SIPB-26

21/01/19

22/01/19

225/40-2

22/1/19

17-1-19
G.No-141091

80.2
21/1/19

DS (113)

डॉ. भा. प्र. मे.
Singh, I.A.S.



संयुक्त राक्षिप
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Joint Secretary
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change

112



Dated 14th December 2018

D.O. No. Q-18011/59/2018-CPA

Dear - *Shri Vivek*

As you may be aware that the import of Pet-coke, except for use as a feedstock in certain category of industries namely Cement, Lime Kiln, Calcium Carbide, Gasification, Graphite Electrode, Aluminium & Calciner Industries, has been banned. Further Environment Pollution (Prevention & Control) Authority (EPCA) for NCR in its Report No 91 has recommended that similar regulation/restriction should be considered for the use of domestic pet-coke throughout the country. The copy of report is enclosed herewith. The Hon'ble Supreme Court vide order dated 27.11.2018 in the matter of M. C. Mehta vs. UoI (W.P. (C) 13029 of 1985) has directed that this issue be considered by Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

In view of above, it is requested to kindly furnish your views/inputs regarding imposing ban on the use of domestic Pet-coke by industries that do not use it as a feedstock, i.e. in all industries except Cement, Lime Kiln, Calcium Carbide, Gasification, Graphite Electrode, Aluminium & Calciner Industries.

With regards,

Yours sincerely,

(Ritesh Kumar Singh)

Shri Vivek Kumar Singh,
Principal Secretary, Environment and Forest Department,
Government of Bihar, Secretariat,
Patna-800015



9044
2018/118